>

Title: Need to reduce the proposed width of National Highway No. 56 being built between Sultanpur and Varanasi in Uttar Pradesh to protect the interests of the farmers in the region.

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से वाराणसी तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के संबंध में जनता की भावनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह मार्ग चार लेन के लिए स्वीकृत हुआ है। प्रोजैक्ट प्लान में इसकी चौड़ाई साठ मीटर रखी गई है। इस राजमार्ग की चौड़ाई साठ मीटर रखे जाने से सड़क के किनारे जो किसान हैं, उनकी जमीन को अधिगृहीत करना पड़ेगा। ऐसा करने से उसकी जद में बड़ी संख्या में छोटे और गरीब किसान आ जाएंगे। जमीन अधीग्रहण के बाद जद में आने वाले छोटे एवं गरीब किसान भूमिहीन हो जाएंगे और उनके सामने पेट पालने की समस्या पैदा हो जाएगी। मुझे विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि चार लेन के मार्ग के लिए 45 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त हो सकती है।

अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार एक लेन में सात मीटर की चौड़ाई रखी जाती है। इस हिसाब से चार लेन की चौड़ाई 28 मीटर होनी चाहिए। यदि बीच में पाँच मीटर का स्पेस छोड़ दिया जाए तो उसकी चौड़ाई 33 मीटर होती है। इसके बावजूद 45 मीटर की चौड़ाई लेने में सड़क के दोनों ओर बीस फीट का रास्ता बचता है। इन सब बातों को ध्यान में चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि सरकार चाहती है कि सड़क का विस्तार करने में छोटे-गरीब किसानों का नुकसान कम हो। अतः आपके माध्यम से सरकार से हमारी माँग है कि छोटे और गरीब किसानों के हितों महेनज़र राष्ट्रीय राजमार्ग-56 की चौड़ाई साठ मीटर के बजाय 45 मीटर करने के लिए विभाग को निर्देश दें ताकि राजमार्ग का निर्माण भी हो जाए और किसानों के हितों की रक्षा भी हो सके।